



57

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर, म०प्र०

दिनांक - 9.2.2016 - I-16

प्र०क्र० दिनांक

कैलाश नारायण पुत्र श्री देव
लाल काछी, जाति काछी
निवासी मोहनपुरा, तहसील
विजयपुर, जिला श्योपुर, म०प्र०
-आवेदक

बनाम

1-श्रीगणेश प्रसाद शिक्षा
संस्थान विजयपुर, जिला
श्योपुर द्वारा उपाध्यक्ष, पदम
सिंह रावत पुत्र श्री इन्दर लाल
रावत, निवासी ग्राम सुनवई,
तहसील विजयपुर, जिला
श्योपुर, म०प्र०

2-अपर आयुक्त, चम्बल
संभाग, मुरैना, म०प्र०।

-अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 म०प्र०भू.रा.संहिता

आवेदक की ओर से आवेदन निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के आदेश दिनांक 28.05.2012 के विरुद्ध लगभग ढाई वर्ष पश्चात दिनांक 28.12.2014 को आवेदक के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है जो कि प्रकरण क्रमांक 82/2014-15 पर लम्बित है।
2. यह कि उक्त अपील में अनावेदक श्री गणेश शिक्षा संस्था द्वारा धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया जिस आवेदक को माननीय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय द्वारा धारा 5 के आवेदन का निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया है। अपने आदेश दिनांक 23.06.2016 में यह उल्लेख किया है कि धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का निर्णय अंतिम निर्णय के साथ किया जावेगा, जो कि न्यायोचित नहीं है।
3. यह कि उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा तहसील न्यायालय विजयपुर से मूल प्रकरण को तलब किया गया था लेकिन तहसील न्यायालय के प्रवाचक द्वारा यह टीप लगाई गई कि प्रकरण न तो प्रवाचक के पास है और ना ही प्रकरण जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध है। उक्त

दिनांक 9.2.2016
श्रीमान् सदस्य
राजस्व मण्डल

व.स.
15-11-16

513
15-11-16 श्रीमान् जी,




✓

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3

पदकर्म क्रमांक १२५५-२/१६ अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला, २५/५

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पदाकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-2-17	<p>मेरा स्थानान्तरण हो जाने के कारण इस प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया जा सका । अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	
10.4.17	<p>आवेदन क्रमांक ३५७/ प्रकरण क्रमांक ५१३/१६</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	<p>03/5/17 PM (प्रदीप शर्मा) PS.</p>
3/5/17	<p>आवेदन क्रमांक ३५७/ प्रकरण क्रमांक ५१३/१६ को समय-समय पर आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं/ आवेदन क्रमांक ३५७/ प्रकरण क्रमांक ५१३/१६ को उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अदम परवी में स्थगित किया गया है। समाप्त-समाप्त के पत्र पर आवेदन क्रमांक ३५७/ प्रकरण क्रमांक ५१३/१६</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	<p>3/5/17 PM (प्रदीप शर्मा) PS.</p>

✓